

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच—एचए(1)2/2019—विभाजन/पुर्नगठन 60272-76

19 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए(1)2/2019—विभाजन/पुर्नगठन: 57837-40 दिनांक 05.09.2020 के अन्तर्गत, जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त मण्डी को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा (3-क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्रसं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड गोपालपुर					
	1 गोपालपुर	1 नैण	ठाणा	1 नैण	1 मोही	
		2 ठाणा		2 ठाणा	2 बड़ाल	
		3 डोल		3 डोल	3 कोटलू	
		4 मोही		4 लंगेहड	4 भैरो	

	5 बड़ाल			5 बैहजी	
	6 कोटलू			6 गोपालपुर	
	7 मैरो				
	8 बैहजी				
	9 गोपालपुर				
	10 लंगेहड				

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: उपरोक्त ६० २७२-२७६
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

दिनांक १९ सितम्बर, 2020

1. उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—९।
3. जिला पचांयत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालनुर, जिला मण्डी हि०प्र०।
5. प्रधान / सचिव ग्राम पचांयत गोपालपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—९